


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

निदेशालय के कालम संख्या 5 में अंकित आदेश में निम्नांकित लोकसेवकों के एतद् द्वारा उनके नाम के आगे अंकित कालम संख्या 6 के अनुसार संशोधन किये जाते हैं :-

क्र. सं.	आदेश क्र.सं.	नाम व पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	आदेश क्रमांक	संशोधन कर पढ़ा जाना है
1	2	3	4	5	6
1.		श्री दरियासिंह प्रधानाचार्य राउमावि. नोरंगपुरा (चूरु)	20-12-1952	शिविरा-मा/संस्था/ए-2-7 / प्रपत्र-6/सेवा सन्तोषजनक /2017/ दिनांक 10-05-2017	1. पृष्ठांकन क्र.सं. 1 में संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग, चूरु के स्थान पर संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग, बीकानेर संशोधन कर पढ़ा जावे। 2. पृष्ठांकन क्र.सं. 3 में जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) झुंझुनू के स्थान पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चूरु संशोधन कर पढ़ा जावे।

शेष सभी शर्तें मूल आदेशों की यथावत रहेंगी।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-माध्य/संस्था/ए-2-7/संशोधन/2017

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, चूरु
2. उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) चूरु
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चूरु/झुंझुनू
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नोरंगपुरा (चूरु)
5. श्री दरियासिंह तत्कालिन प्रधानाचार्य, राउमावि. नोरंगपुरा (चूरु)
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. निजी/रक्षित पत्रावली

दिनांक :- 17.05.2017


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर